


द्वितीय संशोधन  
नहीं होने की दशा में C.P.C. के तहत कामवादी  
की जावेगी। दि. 15/5/17 को पेश है।

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
ग्राम पंचायत.....हुव.सी.के.डी.  
दिनांक.....29.6.17

29.6.2017 पन्नावली राजस्व लोक अदालत शिबि  
में पेश हुई। पन्नावली का अवलोकन  
क्रिया गमा/ वकील वादी के संशोधित  
शीर्षक पेश करने के लिए दिनांक 29.8.16 के  
दरम स्वीकार के बाद पेश किया जाना था।  
16 बार तारीख पेशी 2 वर्ष से अधिक  
अधिक से वकील वादी ने संशोधित शीर्षक  
पेश नहीं किया है। सी.पी.सी. के प्राधान्य में  
मात्र 14 दिवस अधिक निमत है। अतः दावा  
वादी अदम संशोधित शीर्षक स्वार्थिन  
किया जाता है। पन्नावली केसल सुधार  
नम्बर से काम की जाकर दारिद्र्य दफ्तर  
की जावेगी।

  
उप जिला कलेक्टर  
हिण्डौन सिटी, जिला करौली